न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 110/2025/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांक : 24.03.2025
अन्तर्गत धारा : 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

योगेन्द्र आत्मज धन्नालाल जाति मीणा निवासी ग्राम पचेलखुर्द, तहसील अन्ता जिला बारां

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार अंता, जिला बारां

.....रस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 25.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 17/2023 बउनवान योगेन्द्र बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2024 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार अंता द्वारा प्रकरण संख्या 178/22/223 धारा 91 एलआरएक्ट अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम पचेलखुर्द के आराजी खसरा संख्या 528 रकबा 0.32 है0 भूमि किस्म चारागाह पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर संवत 2079 में फसल सरसों की काश्त करने पर पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 06.02.2023 से वार्षिक लगान का 50 गुना शास्ति से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 27.03.2024 से अपील खारिज की गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2. उक्त दोनों निर्णय अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को बिना पश्चात्वर्ती का नोटिस दिये, सुनवाई एवं जवाब देने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित करने में त्रुटि की है। विचारण न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि कब्जा नहीं है तथा कब्जा छोड़ दिया गया है। अपीलार्थी ने जुर्माना राशि भी जमा करवा दी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय को सिविल कारावास की सजा को निरस्त फरमाया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को बिना पश्चात्वर्ती का नोटिस दिये, सुनवाई एवं जवाब देने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि कब्जा नहीं है तथा कब्जा छोड़ दिया गया है। अपीलार्थी ने जुर्माना राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होना प्रकट करते हुए अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा मियाद कन्डौन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र संलग्न कर प्रकरण का गुणावगुण पर सुना जाकर निर्णय किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रकरण में रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना-पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अंता की पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा निर्णय दिनांक 06.02.2023 को देखा गया। निर्णय अनुसार अपीलार्थी के द्वारा पूर्व में भी सम्वत् 2078 में अतिक्रमण किये जाने पर मिसल नम्बर 56 दर्ज कर निर्णय दिनांक 11.03.2022 से अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया गया था। अपीलार्थी के द्वारा पुनः सम्वत 2079 में उक्त वर्णित चारागाह आराजी पर पुनः अतिक्रमण कर फसल काश्त करने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में होने से तदनुसार निर्णय दिनांक 06.02.2023 से लगान का 50 गुना शास्ति एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं होते हैं कि अपीलार्थी के द्वारा वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा लिया गया हो। विचारण न्यायालय के द्वारा पूर्व प्रकरण में निर्णय दिनांक 11.03.2022 से अतिक्रमी आराजी से बेदखल किये जाने के उपरांत पुनः अतिक्रमण किये जाने पर ही सजायाब किया गया है। अपीलार्थी बार–बार राजकीय भूमि पर कब्जे करने का आदि होना प्रकट होता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 27.03.2024 से अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिक्रमी की पुष्टि होने के उपरांत अपील खारिज की गई है, जो प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

25/6/25

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा